



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032023-244324
CG-DL-E-13032023-244324

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1140]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 2023/फाल्गुन 22, 1944

No. 1140]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 2023/PHALGUNA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023

का.आ. 1187(अ).— केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान प्रदेश राज्य के जोधपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (नया एन.एच. नं. -11) के कि.मी. 162.00 से कि.मी. 200.00 (फलौदी-जैसलमेर खण्ड) पर भूखण्ड के निर्माण (चौड़ी करण/चारलेन बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप प्रभागीय अधिकारी (एसडीओ) (सिविल), फलौदी को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकृत किये जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे आक्षेप की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम पदाधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेप को अनुज्ञात करेगा या अननुज्ञात करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 15 (नया एन.एच.-11) के कि.मी. 162.00 से कि.मी. 200.00 (फलौदी-जैसलमेर खण्ड) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: जोधपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: फलोदी					
गांव का नाम: हनुमानपुरा					
1	39/1	निजी(निजी)	बारानी तृतीय	0.4965000(हेक्टेयर)	0.4965000
कुल				0.4965	0.4965

[फा. सं. NHAI/11004/1/PJ/Jaisalmer/LA/3A1]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2023

S.O. 1187(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two-laning with paved shoulders etc.), maintenance, management and operation of Development on National Highway No.15 (New N.H. No.-11) from Km 162+00 to Km 200+00 (Phalodi to Jaisalmer Section) in the district of JODHPUR in the state of RAJASTHAN, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub-Divisional Officer, Phalodi in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from Km 162+00 to Km 200+00 on National Highway No. 15 (New NH No.-11) (Phalodi to Jaisalmer Section) in the District of JODHPUR in the state of RAJASTHAN

State: RAJASTHAN		District: JODHPUR			
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Phalodi					
Village: Hanumanpura					
1	39/1	Private	BARANI III	0.4965000(Hectare)	0.4965000
Total				0.4965	0.4965

[F. No. NHAI/11004/1/PJ/Jaisalmer/LA/3A1]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.